हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को विपक्षीगण के सम्मन पुनः पेश करने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/5/24 को पेश हो।	
(हस्ताक्षर)	

28/5/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त है, मिसल इस्तगासा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 06/06/24 को पेश हो।

6/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन Regi/जवाब प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है अतः उनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः तेहरीरी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(हस्ताक्षर)

R14 R14

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 49/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

कालूराम वगैरा बनाम नोजी वगैरा

वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री ज्येष्ठ कुमार

निर्णय दिनांक – 06/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा नवातला बाखासर के खेत खसरा संख्या 390/132 रकबा 3.2132 हैक्टर किस्म बारानी सोयम हैक्टर** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा नवातला बाखासर के खेत खसरा संख्या 390/132 रकबा 3.2132 हैक्टर किस्म बारानी सोयम हैक्टर** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

6/6/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1 कालूराम पुत्र रूगाराम 2. पुनमाराम पुत्र रूगाराम 3. भीयाराम पुत्र रूगाराम, जाति जाट, निवासी नवातला बाखासर 4. कानु पुत्री रूगाराम पत्नि खीयाराम, जाति जाट, निवासी एकल 5. नेनू पुत्री रूगाराम पत्नि वालाराम, जाति– जाट, निवासी फकीरो की वेरड़ी, हाथला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. नोजी पत्नि चुतराराम 2. जोगाराम पुत्र चुतराराम 3. हनुमानराम पुत्र चुतराराम 4. मूलाराम पुत्र मोडाराम 5. हेमी पत्नि मुलाराम जाति जाट, नि नवातला बाखासर 6. चतु पुत्र कोजा 7. घमू पुत्र कोजा 8. राणा पुत्र कोजा 9. नागजी पुत्र कोजा जाति जाट, 10. गुलामरसूल पुत्र अलाना 11.गुलाम कादर पुत्र अलाना 12. जुनस पुत्र अलाना 13. जलाल पुत्र अलाना 14. मुसा पुत्र अलाना 15. साालेह पुत्र अलाना 16. हैदर पुत्र अलाना 17. हासम पुत्र खान 18. सदिक पुत्र खान 19. जेनी पुत्र आरब 20. तैयब पु आरब 21. प्यारा पुत्र आरब 22. बच्चा पु आरब 23. बाई पत्नि आरब, जाति मुसलमान, निवासी नवातला बाखासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 49/2023 दिनांक : 06/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा नवातला बाखासर के खेत खसरा संख्या 390/132 रकबा 3.2132 हैक्टर किस्म बारानी सोयम हैक्टर** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

6/6/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
o/c उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2083-84 दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी कालूराम पुत्र रूगाराम वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण नोजी पत्नि चुतराराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/बाखासर/धनाऊ।

6/6/24
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा